राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.1(53)वन/2011 जयपुर दिनांक: 29 FEB 2012

—: परिपत्र :—

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के प्रचलित होने के उपरान्त इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपादित व्यवस्था को देखते हुए राज्य में स्थित विभिन्न वन क्षेत्रों के संबंध में समय–समय पर अधिसूचनाएं जारी की गई है। यह पाये जाने पर कि अधिसूचना जारी होने के उपरान्त भी राजस्व अभिलेखों में अधिसूचित वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेखों में इंद्राज नहीं हुआ है, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(35)प्र.सु./अनु–3/99, दिनांक 31.08.1999 द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जो समसंख्यक आदेश दिनांक 14.11.2011 (प्रति संलग्न है) द्वारा 31.12.2012 तक प्रभावशील है। प्रकरण के महत्व को देखते हुए मुख्य सचिव द्वारा भी पत्र क्रमांक F.No.1(1)Forest/2003 दिनांक 26.09.2006 (प्रति संलग्न है) से समस्त जिला कलेक्टर्स से अभिलेखों में न भूमि का आदिनांक इन्द्राज करने का आग्रह किया गया। परन्तु राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि अभी भी लगभग 15 प्रतिशत अधिसूचित वन क्षेत्रों का भू–अभिलेखों में इंद्राज नहीं हुआ है। अपितु राज्य सरकार के संज्ञान में यह आया है कि भू अभिलेखों में वन भूमि के इन्द्राज के दायित्व में शिथिलता बरतते हुए निम्न कार्य किये जा रहे है जिससे अवैधानिक एवं आपराधिक कृत्यों को प्रश्रय मिल रहा है:—

1. जिले में समस्त अधिसूचित वन भूमि का अभिलेखों में इन्द्राज नहीं होने के बाबजूद भी भू–आवंटन / रूपान्तरण के आवेदन पर विचार करते समय प्रकरण वन विभाग को संदर्भित किये बिना ही निर्णय कर दिया जाता है। इसके कारण कई प्रकरणों में वन भूमि का आवंटन / रूपान्तरण हो जाता है।

2. राजस्व अधिकारी यदि प्रकरण वन विभाग को संदर्भित नहीं कर स्वंय के स्तर से निर्णय लेना युक्ति संगत पाते हैं तो उनका यह दायित्व बनता है कि राजस्थान वन अधिनियम के अधीन जारी समस्त अधिसूचनाओं को देखकर निर्णय लेवें, ऐसा किये बिना तथा वन विभाग से वन भूमि संबंधित जानकारी प्राप्त किये बिना अधूरे राज्य अभिलेखों के आधार पर ही राजस्व अधिकारी अवैद्य तरीके से निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को खातेदारी अधिकार प्रदान कर रहे हैं/ भूमि का रूपान्तरण कर रहे है।

यह ध्यान देने योग्य है कि जिला कलक्टर भू अभिलेख अधिकारी है एवं उसका विधिक दायित्व है कि राजस्व अभिलेखों में प्रशासनिक शिथिलता के कारण ऐसी कमी नहीं रहे जिसका लाभ उठाकर विधि द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में भी निहित स्वार्थी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा अवैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिया जावे। स्पष्टतया यदि ऐसी स्थिति बनती है

29/2/12

तो जिला कलक्टर की भू अभिलेख अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन के प्रति सतर्कता का अभाव ही मुख्य कारण होगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1980 वन संरक्षण अधिनियम प्रचलित हुआ था। इस अधिनियम की धारा–2 नीचे उद्धत है :–

"2. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in a State, no State Government or other authority shall make, except with the prior approval of the Central Government, any order directing-

(i) That any reserved forest (within the meaning of the expression "reserved forest" in any law for the time being in force in that State) or any portion thereof, shall cease to be reserved:

(ii) That any forest land or any portion thereof may be used for any non-forest purpose:

(iii) That any forest land or any portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any private person or to any authority, corporation, agency or any other organization not owned, managed or controlled by Government.:

(iv) That any forest land or any portion thereof may be cleared of trees which have grown naturally in that land or portion, for the purpose of using it for reafforestation."

यह भी उल्लेखनीय है कि वन संरक्षण अधिनियम के परिपेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.12.1996 में वन भूमि का निम्नानुसार परिभाषित किया है:–

"*The word "Forest: must be understood according to its dictionary meaning. This description covers all statutorily recognised forests, whether designated as reserved, protected or otherwise for the purpose of Section 2(i) of the Forest Conservation Act.*

The term "forest land", occurring in Section 2, will not only include "forest" as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record irrespective of the ownership. This is how it has to be understood for the purpose of Section 2 of the Act. The provisions enacted in the Forest Conservation Act, 1980 for the conservation of forests and the matters connected therewith must apply clearly to all forests so understood irrespective of the ownership or classification thereof."

29/2/12

चूंकि उपरोक्त विधिक व्यवस्था में **State Govt. or other authority** द्वारा भी वन भूमि का गैर वन भूमि के प्रयोग के लिए अनुमति दिया जाना प्रतिबंधित किया हुआ है, वन भूमि का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं करना या इन्द्राज नहीं होने के आधार पर इसका गैर वन भूमि के रूप में उपयोग किये जाने की स्थिति पैदा करता है जिससे धारा–2 का उल्लंघन होने के कारण धारा–3 की व्यवस्था के अनुसार दण्डनीय अपराध बनता है।

यह देखते हुए कि ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सदर्भित किया जाना होता है, यदि किसी जिले में राजस्व अधिकारी द्वारा वन भूमि पर खातेदारी अधिकार दे दिया जाता है या वन भूमि को गैर वन भूमि के रूप में प्रयोग की अनुमति दे दी जाती है एवं ऐसा प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में आता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित किया जावे। ऐसी सूरत में एक तरफ राज्य प्रशासन की शिथिलता का संदेश जाता है एवं राज्य सरकार की छवि धूमिल होती है एवं दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा स्वयं के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु भारत सरकार को आग्रह करने की स्थिति भी बनती है।

अतः यह आवश्यक है कि जिला कलक्टर बिना किसी विलम्ब अधिसूचित वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेखों में इंद्राज करायें एवं यह सुनिश्चित करावे कि राजस्व अधिकारियो द्वारा भूमि आवंटन / रूपान्तरण से पूर्व यह निर्धारित कर लिया जोव कि प्रस्तावित भूमि वन भूमि तो नहीं है। वन भूमि – भूमि आवंटन एवं भूमि रूपान्तरण आदेशों एवं कार्यवाही विवरण में यह स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि वर्णित आदेश प्रचलित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि आदेशाधीन भूमि वन भूमि नहीं है/वन भूमि है परन्तु सक्षम स्तर से गैर वन भूमि के उपयोग हेतु प्रत्यावर्तित है।

29/2/12

(डॉ. वी.एस.सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभागए राजस्थान जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधिनस्थ समस्त वनाधिकारियों को अपने स्तर से इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करें।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ समस्त वनाधिकारियों को अपने स्तर से इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करें।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त सभागीय आयुक्त .....।
7. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, कर भवन, अजमेर।
8. समस्त सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)।
9. समस्त जिला कलेक्टर, ... कृपया सुनिश्चित करें कि वनभूमियों का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराते हुए राजस्व अधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो तो ऐसे प्रकरणों में भूमि को वन विभाग के नाम से रेस्टोर कराया जावे।
10. समस्त उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी, ... कृपया सुनिश्चित करावे कि उनके कार्य क्षेत्र में वर्ष 1980 के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन का कोई भी प्रकरण घटित हुआ है तो जिला कलक्टर के संज्ञान में लाकर ऐसे आवंटन निरस्त करवा वन विभाग के पक्ष में इन्द्रज रेस्टोर कराने की कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जावे एवं इसका अलग से अभिलेख संधारित किया जावे साथ ही इस कृत्य हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के प्रस्ताव बनाकर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम) एवं नोडल अधिकारी को प्रेषित करें।

शासन सचिव, वन

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग

क्रमांक प06(35)प्रसु/अनु. 3/99 जयपुर, दिनांक – 14.11.2011

आज्ञा

महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 31.8.99, 24.2.2001, 19.2.2003, 27.6.2005 एवं 9.5.2007 के क्रम में राज्य की वन भूमियों के राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही को अभियान के तौर पर पूर्ण करवाने के लिए जिला स्तर पर गठित समिति का कार्यकाल दिनांक 31.12.2012 तक और बढ़ाया जाता है।

समिति का प्रशासनिक विभाग वन विभाग होगा। समिति द्वारा इस संबंध में की गयी कार्यवाही/निर्णयों की सूचना से समय समय पर वन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1- प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3 निजी सचिव, सभी मंत्रीगण।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त अधिनस्थ वनाधिकारीगण एवं समिति के सदस्यों को प्रति अपने स्तर से भिजवाने की व्यवस्था करें।
7 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
8 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, अरावली भवन, राजस्थान जयपुर।
9- समस्त जिला कलेक्टर।
10- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
11 रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FORESTS DEPARTMENT

F. No.1 (1) Forest/2003

Dated:
26 SEP 2006

All District Collectors

Sub:- Mutation of land under Forests in Record of Rights.

A District Level Committee under the chairmanship of the district Collector, with the Deputy Conservator of Forests as its Member Secretary, had been constituted in each district, vide order F. no.6 (35) AR/Gr-3/99 dated 31.8.1999, with the mandate to get all categories of forest lands recorded as such in the revenue record, by 31.12.2000. The tenure of this Committee had to be extended from time to time, the last extension being up to 31.12.2006. It has been reported, however, that even with the passage of about seven years after the constitution of the Committee, substantially large areas under forests still remain to be entered in the record.

Non-reflection of forest land in the Record of Rights may lead to unauthorised diversion of land under forests for non-forest purposes, in violation of the Forest Conservation Act. The Central Empowered Committee of the Supreme Court of India has taken a serious view of one such instance of unauthorised diversion in the matter of construction of the Basoli dam in Bundi district, and has passed an order dated 9.3.2006 to the effect that it should be ensured that all areas notified as Reserved/Protected forest, and the areas which fall in the category of forests as per the Hon'ble Supreme Court order dated 12.12.1996, should be properly recorded and reflected in the revenue records, in a time bound manner.

It is, therefore, enjoined upon all the district Collectors and the Deputy Conservators of Forests to ensure that the work of mutation of land under forests in the Record of Rights is completed by 31.12.2006. Such land would include notified forests, which comprise Reserve Forests and Protected Forests, and Unclassed Forests, which for the purpose of the record at this stage, comprise

areas which are not yet notified as forests but are, and have been in the possession of the Forests Department for over decades, and for which the Forests Department has some record in its possession.

The matter regarding land not belonging to the Forests Department, but otherwise qualifying to be classified as forest under the definition of 'forests' in terms of the Supreme Court order dated 12.12.1996, is presently subjudice and no action needs to be taken in relation thereto, till the final decision of the Hon'ble Supreme Court is available.

The work of mutation of land under forest into the Record of Rights should be done in a time bound manner, and progress reports in this regard should be sent periodically to the Forests Secretary.

(ANIL VAISH)
CHIEF SECRETARY

Copy for information and necessary action to: -

1. Member Secretary, Central Empowered Committee, Gate No.31, J.L.N. Stadium, Lodhi Road, New Delhi-110003 in reference to their letter no.1-19/CEC/SC/2004/Pt. X dated 16.3.2006.
2. Principal Secretary to Government, Revenue Department.
3. Principal Secretary/ Secretary to Government, Forests Department.
4. All Divisional Commissioners.
5. Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur with the request to get this letter circulated to all Forest Officers for compliance.
6. Principal Chief Conservator of Forests Working Plan and Forest Settlement, Rajasthan, Jaipur.
7. All Chief Conservators of Forests/ Conservators of Forests/ Deputy Conservators of Forests.

SPECIAL SECRETARY